फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकामः– नसीराबाद

सीता पुत्री अली बनाम अब्दुल पुत्र अली व अन्य

किस्म मुकदमा :– 53, 88, 188

प्रकरण संख्या 109 सन :– ~~2019~~ 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/10/20	अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 24.11.20 को पेश हो।	
24.11.20	पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय के बाहर दौरे/अवकाश पर होने के कारण आज के प्रकरणों में तारीख तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना के मिसल दिनांक 21.1.21 को पूर्व आदेश की पालन में पेश है।	21.1.21 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय [illegible] अवकाश पर होने के कारण [illegible] में तारीख तब्दील [illegible] सूचना के मिसल [illegible] 19.3.21 को पूर्व आदेश की पालन [illegible]
	आदेशानुसार रीडर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	आदेशानुसार रीडर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)
19.3.21	प्रकरण अधिवक्ता वादी ने प्रथम पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण प्रतिवादी के नाम रजिस्टर होने वादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः पत्रावली तलब कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पत्रावली तलब कर के निवेदन पर [illegible] स्वीकार किया जाता है, पत्रावली मौसल शुमार दफ्तर नसीराबाद के बाद हो व दाखिल दफ्तर हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:52:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद